न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/62/2019	2019/002	01.10.2019	25.10.2021

1. नरेन्द्र पुत्र श्री आनन्दी लाल मीना, निवासी मीणापाडी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह मीणा पुत्र श्री शिवदान सिंह, ग्राम हरसाना तहसील लक्ष्मणगढ़, हाल कार्यरत पीएचईडी कार्यालय मनुमार्ग अलवर, जिला अलवर (राज0)।
2. बुजकिशोर पुत्र श्रीराम मीणा निवासी बागर का बास हाल निवासी सी–215, मालवीय नगर पानी की टंकी के पास अलवर, जिला अलवर राजस्थान।
3. तहसीलदार अलवर जरिये लैण्ड होल्डर तहसील परिसर अलवर राजस्थान।

—असल रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 01.01.2010 नामान्तकरण संख्या 918 ग्राम बल्लाबोडा, तहसील अलवर, जिला अलवर राज0

उपस्थितः–

01. श्री संजीव जैन —वकील अपीलान्ट
02. श्री गिर्राज प्रसाद गुप्ता —वकील रेस्पॉडेन्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 01.01.2010 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 918 ग्राम बल्लाबोडा तहसील अलवर, जिला अलवर जिसे रेस्पा0 संख्या 1 के पक्ष में बिना सुने बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इन्तकाल में वर्णित आराजी ख0 नं0 628 रकबा 15 ऐयर, खसरा नं0 629 रकबा 20 ऐयर, वाके ग्राम बल्लाबोडा तहसील व जिला अलवर में स्थित है उक्त वर्णित आराजीयात बाबत अपीलान्ट द्वारा रेस्पा0 के विरूद्व एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 (इश्तकरारहक, हुक्मइम्तनाई दावामी, दुरूस्ती इन्द्राज व तकसीम) के तहत अदालत उपजिलाधीश अलवर में सन् 2007 से दायर किया हुआ है। जिस राजस्व वाद में अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। तथा उक्त वाद वर्तमान में भी विचाराधीन चला आ रहा है। रेस्पॉडेन्ट संख्या 2 द्वारा इंतकाल में वर्णित आराजी मुतनाजा का बेचान रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में गलत बेजा तौर पर मौके व रिकॉर्ड के विपरीत कर दिया गया था। जिस पर अपीलांट द्वारा रेस्पॉडेन्टान के विरूद्व एक राजस्व वाद संख्या 01/80 तथा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 02/26 दिनांक 07.02.2007 को न्यायालय उपजिलाधीश अलवर में दायर कर दिया गया था। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में दिनांक 07.02.2007 को स्थगन आदेश जारी कर दिया गया था। उक्त वर्णित स्थगन आदेश वर्तमान समय तक गुण अवगुण के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। इसके बावजूद रेस्पॉडेन्ट संख्या 03 व उसके मातहत कर्मचारी हल्का पटवारी विशम्भर दयाल शर्मा द्वारा रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 व 02 से मिल्लत कर व साज बाज होकर रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में दिनांक 16.11.2009 को भरा जाकर आईएलआर द्वारा दिनांक 24.11.2009 को मिलान करना अंकित करते हुए दिनांक 01.01.2010 को स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद स्वीकार कर दिया गया जिस कारण उक्त इंतकाल निरस्तनीय है।

जिला कलक्टर, अलवर

इंतकाल संख्या 918 कॉलम नम्बर 7 में वर्णित व्यक्ति द्वारा वाद तथा इन्तकाल में वर्णित आराजी गैर मुमकिन खाई गलत बेजा तौर पर मौके व रिकॉर्ड के खिलाफ बिना कब्जा रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 द्वारा रेस्पॉडेन्ट संख्या 02 को दिनांक 31.10.2006 को आराजी बेचान कर दी गई। तथा उक्त बिला कब्जा नुमाईशी बेचान के आधार पर आराजी का इंतकला संख्या 918 पटवारी हल्का विशम्भर दयाल शर्मा द्वारा दिनांक 16.11.2009 को बिना जांच परख भर लिया गया तथा बाला–बाला में दिनांक 24.11.2009 को मिलान कर तहसीलदार अलवर द्वारा कर दिया गया। जिस कारण उक्त इन्तकाल वाद लम्बित होने के दौरान तस्दीक किया गया है। जो विक्रय पत्र व इन्तकाल सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 52 की भावना के विपरीत होने के कारण मन्सुख किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर व उनके अधिनस्थ कर्मचारी विशम्भर दयाल शर्मा द्वारा जानबूझकर रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 व 02 को लाभ पहुचाने की नियत से उक्त इंतकाल जमाबन्दी सम्वत् 2061 लगायत 2064 में वर्णित स्थगन आदेश के नोट के आवजूद स्वीकृत कर दिया गया। जो तथ्य भी रेस्पॉडेन्ट संख्या 03 व उनके मातहत हल्का पटवारी विशम्भर दयाल शर्मा की बदनियति व अनुशासन हीनता व बेजा लाभ प्राप्त करने की मंशा से की गई लापरवाही जाहिर करती है।

उक्त इन्तकाल अपीलान्ट को सुने बिना इकतरफा में पीठ पीछे से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना कर तस्दीक किया गया है। जबकि आराजी मुतनाजा में हित निहित होने के कारण अपीलान्ट को सुना जाना चाहिए था जिस कारण भी उक्त इन्तकाल खारिज किये जाने योगय है। इन्तकाल में वर्णित आराजी बाबत सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद विचाराधीन था जिस वाद में रेस्पॉडेन्टान पक्षकार के रूप में संयोजित है, जिन्हे उक्त वाद की बखूबी जानकारी थी। जिस कारण भी रेस्पॉडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में इन्तकाल स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुना जाना चाहिए था, क्योकि इन्तकल में वर्णित आराजी विवादित आराजी थी तथा विवादित आराजी का इन्तकाल निर्णित करने से पूर्व धारा 133 एल.आर.एक्ट (इश्तकाराहक, दुरूस्तीइन्द्राजात, कब्जे सम्बन्धी मामले) के प्रावधानों की पालना तहसीलदार अलवर को करनी चाहिए थी जिस कारण भी उक्त इंतकाल मंसुख किये जाने योग्य है।

उक्त इंतकाल की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 31.03.2017 अपीलान्ट को जब हुई जब रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 व 02 मौके पर आये तथा मौके पर आकर इन्तकाल में वर्णित आराजीयात की पैमाईश बाला–बाला में ही करने लगे जिस पर अपीलान्ट रेस्पॉडेन्ट संख्या 01 व 02 को पैमाईश करने से रोका गया तथा उपजिलाधीश न्यायालय में विचाराधीन वाद व स्थगन आदेश के बारे में अवगत कराया, इन्तकाल की नकल उसी दिन प्राप्त हो गई इन्तकाल स्वीकृत तिथि 01.01.2010 से लाईल्मी में जो समय 30.03.2017 तक का जाया हुआ है वह माफ किये जाने योग्य है तथा अपील जानकारी से बिना किसी देरी के नेक नियती, सदभावना से प्रस्तुत की जा रही है। अलहदा से प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सख्या 918 दिनांक 01.01.2010 वाके ग्राम बल्लाबोडा तहसील अलवर निरस्त फरवाई जावें। अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में स्थगन प्रार्थना पत्र नरेन्द्र कुमार बनाम ब्रजकिशोर दिनांक 28.05.2018 की आदेशिका पेश कि गई जिसमें ताफैसला स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान निवेदन किया कि इन्तकाल में वर्णित आराजी खसरा नं0 637 रकबा 07 ऐयर, आराजी खसरा नं0 628 रकबा 15 ऐयर, खसरा नं0 629 रकबा 20 ऐयर वाके ग्राम बल्लाबोडा तहसील अलवर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात बाबत अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व राजस्व वाद धारा 88, 89, 188 आर. टी.एक्ट में उप जिलाधीश अलवर के यहां दायर किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट नं0 2 द्वारा इन्तकाल में वर्णित आराजी का बैचान रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में रिकॉर्ड व मौके के अनुसार किया गया है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व राजस्व वाद संख्या 1/80 तथा स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2/26 दिनांक 07.02.2007 उप जिलाधीश अलवर में दायर किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट नं0 3 की रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 से कोई मिल्लत नही थी। विधिसम्मत तरीके से रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में बयनामा के आधार पर दिनांक 16.11.2009 को

जिला कलक्टर, अलवर

नामान्तरकरण भरा जाकर भू.अभिलेख निरीक्षक द्वारा 24.11.2009 को मिलान किया गया। तथा दिनांक 01.01.2010 को सही प्रकार स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 2 को दिनांक 31.10.2006 को रिकॉर्ड अनुसार व मौके पर कब्जा देकर बैचान किया गया है। बैचान के आधार पर इन्तकाल संख्या 918 दिनांक 16.11.2009 को मौका जाचं कर भरा गया तथा 24.11.2009 को मिलान कर 01.01.2010 को तस्दीक किया गया। उक्त इन्तकाल बयनामें के आधार पर तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.01.2010 को किया गया है जबकि दिनांक 07.02.2007 को ही उक्त नामांतरकरण से संबंधित आराजी खसरा नम्बर 637 रकबा 7 ऐयर वाके ग्राम बल्लाबोड़ा तहसील अलवर बाबत उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा ताफैसला स्थगन आदेश पारित किया गया था जिसका नोट जमाबंदी संवत् 2061–64 में भी लगा हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उक्त तथ्यों पर गौर ना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि गुणावगुण के आधार पर नियमों के आलोक में पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)
जिला कलक्टर, अलवर